रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2015/फाल्गुन 27, 1936
No. 603] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2015 /PHALGUNA 27, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2015

सं. 31/2015-सीमा शुल्क (गै. टै.)

का.आ. 794(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 28/2015-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 5 मार्च, 2015, जिसे का.आ. 566(अ) दिनांक 5 मार्च, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 9 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची-I

क्र. सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रु. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर	
(1)	(2)	(3)	
		(क)	(ख)
		(आयातित माल के लिए)	(निर्यात माल के लिए)
9.	नॉर्वेजियन क्रोनर	7.65	7.45

यह दरें 19 मार्च, 2015 से प्रभावी होंगी ।

[फा. सं. 468 /01/2015 - सीमा शुल्क-V]

सत्यजीत मोहन्ती, निदेशक **(आईसीडी)**

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2015

No. 31/2015-Customs (N.T.)

S.O. 794(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise & Customs hereby makes the following further amendments in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 28/2015-CUSTOMS (N.T.) dated the 5th March, 2015 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), Extraordinary *vide* number S.O. 566(E) dated, the 5th March, 2015, namely:—

In the SCHEDULE-I of the said Notification, for Serial No. 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE-I

S.No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees	
(1)	(2)	(3)	
		(a)	**(b)**
		(For Imported Goods)	**(For Export Goods)**
9.	Norwegian Kroner	7.65	7.45

These rates will be effective from 19th March, 2015.

[F. No. 468/01/2015-Cus.V]

SATYAJIT MOHANTY, Director (ICD)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.